



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2009/चैत्र 6, 1931

No. 174]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2009/CHAITRA 6, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2009

सा.का.नि. 204(अ).— केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 52 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 63 की उपधारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (लेखा) का वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का अधिनियम संख्यांक 12) अभिप्रेत है ;

(ख) “आयोग” से अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) ‘निधि’ से अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन गठित प्रतिस्पर्धा निधि अभिप्रेत है ;

(घ) ‘प्ररूप’ से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ड) 'अनुसूची' से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ;

(च) "वर्ष" से ठीक पश्चात् वर्ष के 1 अप्रैल से आरंभ होने वाला और 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो नियम में प्रयुक्त हुए हैं और परिभाषित नहीं हैं वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में हैं ।

3. **वित्तीय विवरणों के प्ररूप** :-- आयोग, इन नियमों से उपाबद्ध वित्तीय विवरणों के प्ररूप में अपने लेखा रखेगा । आयोग वित्तीय विवरणों के अनुरक्षण में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा उपदर्शित अनुदेशों और लेखा सिद्धांतों का पालन करेगा ।

4. **आयोग द्वारा उपगत होने वाला व्यय** : प्रतिस्पर्द्धा निधि से व्यय को करने या करने को प्राधिकृत आयोग को प्रत्येक अधिकारी वित्तीय संपत्ति के मानक और साधारण वित्तीय नियम, 2005 के अन्य नियम द्वारा दिशानिर्देशित होगा ।

5. **लेखाओं को वार्षिक विवरण** :-- आयोग, प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले 12 मास की अवधि के अंत में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, लेखा महानियंत्रक द्वारा विहित वित्तीय विवरण के संकलन के लिए टिप्पण और अनुदेशों के अनुसार आवश्यक अनुसूचियों लेखा पर टिप्पण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के साथ निम्नलिखित वित्तीय विवरण तैयार करेगा जो इन नियमों से उपाबद्ध और यथा उपांतरित है :--

(i) तुलन पत्र

(ii) आय और व्यय लेखा

(iii) प्राप्ति और भुगतान लेखा

(2) तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा और प्राप्ति और भुगतान लेखा तथा उपनियम (1) में निर्दिष्ट अनुसूचियां आयोग या आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत समिति द्वारा अनुमोदित और अंगीकृत किया जाएगा और अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए आयोग का अध्यक्ष और एक सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(3) आयोग का अनुमोदित लेखा भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक उसके द्वारा उसके निमित्त किसी अन्य व्यक्ति को संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए उस वर्ष के अवसान के पश्चात् तीन मास में अग्रेषित किया जाएगा ।

(4) आयोग का वार्षिक लेखा भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित आयोग द्वारा अंगीकार करने के पश्चात् संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ केन्द्रीय सरकार को संसद् के दोनों सदनों के पटल पर रखने के लिए अग्रेषित किया जाएगा ।

6. **लेखा इत्यादि का अनुरक्षण**--आयोग नियम 4के उपनियम (1) में निर्दिष्ट तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा ऊपर विवरणों की अनुसूचियां तथा प्राप्तियां और भुगतान लेखा को आगामी वर्ष जिससे वह संबंधित है, से न्यूनतम दस वर्ष की अवधि के लिए संरक्षित करेगा ।

[फा. सं. 5/32/2007-आईजीसी/सी सी]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

वित्तीय विवरणी का प्रपत्र

(नियम 3 देखें)

संगठन का नाम: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
अवधि/समाप्त वर्ष.....के लिए तुलनपत्र

निधि और देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
निधि	1	---	---
प्रारक्षित और अधिशेष	2	---	---
रक्षित कर्ज और उधार	3	---	---
आरक्षित कर्ज और उधार	4	---	---
आस्थगित ऋण देयताएं	5	---	---
चालू देयताएं और प्रावधान	6	---	---
जोड़	7	---	---
परिसंपत्तियां	8	---	---
स्थायी परिसंपत्तियां	9	---	---
निवेश-निर्धारित/स्थायी निधियों से	10	---	---
निवेश-अन्य	11	---	---
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि		---	---
विविध व्यय		---	---
(बट्टे खाते या समायोजित न की गई सीमा तक)		---	---
जोड़		---	---
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	22		
आकस्मिक देयताएं और लेखा संबंधी टिप्पणियां	23		

कृते भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

सदस्य अध्यक्ष

स्थान : दिल्ली

दिनांक :

(नियम 5 देखें)

.....को समाप्त हुई अवधि/वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(राशि.....रुपयों में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
(I) प्रारंभिक शेष (क) संचय में नकदी (ख) बैंक बैलेंस (i) चालू खातों में (ii) जमा खातों में (iii) बचत खातों में			(I) व्यय (क) स्थापना व्यय (अनुसूची-20 के अनुसार) (ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची-21 के अनुसार)		
(II) प्राप्त अनुदान (क) भारत सरकार से प्राप्त (ख) राज्य सरकार से प्राप्त (ग) अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान (ध्वंसा दें) (पूँजी और राजस्व व्यय के लिए अनुदान पृथक रूप से दिखाए जाएं)			(II) विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि हेतु किए गए भुगतान (निधि अथवा परियोजना का नाम प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतानों के ध्वंसां सहित दिखाया जाना चाहिए)		
(III) निम्नलिखित से निवेशों पर आय (क) निर्धारित निधियों/स्थायी निधियों से (ख) खुद की निधियों से (अन्य निवेश)			(III) निम्नलिखित से निवेशों पर आय (क) निर्धारित निधियों/स्थायी निधियों से (ख) खुद की निधियों से (अन्य निवेश)		
(IV) प्राप्त ब्याज (क) बैंक जमाओं पर (ख) ऋण, अग्रिमों आदि पर (V) अन्य आय (उल्लेख करें)			(IV) स्थायी परिसंपत्तियों और चल रहे पूँजी कार्यों पर व्यय (क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद (ख) चल रहे पूँजी कार्यों पर व्यय (V) अधिशेष राशि/ऋणों को लौटाना (क) भारत सरकार को (ख) राज्य सरकार को (ग) निधि प्रदान करने वाले अन्य स्रोत		
(VI) उधार की राशि			(VI) वित्त प्रसार (ब्याज) (VII) अन्य भुगतान (बताएं) (VIII) अंतरेष		
(VII) कोई अन्य प्राप्तियां (ध्वंसा दें)			(क) संचय में नकदी (ख) बैंक बैलेंस (i) चालू खातों में (ii) जमा खातों में (iii) बचत खातों में		
कुल			कुल		

कृते भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

सदस्य

अध्यक्ष

स्थान : दिल्ली

दिनांक :

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र

.....को समाप्त हुई अवधि/वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान
(नियम 5 देखें)

(धनराशि-रूपों में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
आय			
बिक्री/सेवा से प्राप्त आय	12		
अनुदा/आर्थिक सहायता	13		
शुल्क/अभिदान	14		
निवेश से प्राप्त आय (निर्धारित/स्थायी निधि से किए गए निवेश से प्राप्त आय निधि में अंतरित की गई)	15		
रायल्टी, प्रकाशन इत्यादि से प्राप्त आय	16		
अर्जित ब्याज	17		
अन्य आय			
तैयार माल के स्टॉक और चालू कार्य में बढ़ोतरी/(कमी)			
जोड़ (क)			
व्यय			
स्थापना संबंधी व्यय	18		
अन्य प्रशासनिक व्यय इत्यादि	19		
अनुदान, आर्थिक सहायता इत्यादि पर व्यय	20		
व्याज	21		
मूल्यहास (वर्ष की समाप्ति पर निवल जोड़- अनुसूची 8 के तदनुसार)			
जोड़ (ख)			
शेष जो व्यय से अधिक आय है (क-ख)			
विशेष प्रारक्षित निधि में अंतरण (प्रत्येक को विनिर्दिष्ट)			
सामान्य प्रारक्षित निधि को/से अंतरण			
कॉर्पस/पूँजीगत निधि में लिए गए अधिशेष (घाटे) का शेष है			
महत्वपूर्ण लेखाकेंन नीतियां	22		
आकस्मिक देयताएं और लेखा संबंधी टिप्पणियां	23		

कृते भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सदस्य अध्यक्ष

स्थान : दिल्ली

दिनांक :

अनुसूची- 1

संगठन का नाम: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

.....को समाप्त हुई अवधि/वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान
(नियम 5 देखें)

(धनराशि-रूपों में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
वर्ष के प्रारंभ में शेष निधि		
जोड़: कॉर्पस/पूँजीगत निधि के अंशदान		
जोड़/(घटाएं): आय और व्यय लेखा से		
अंतरित निवल आय (व्यय) का शेष		
-को समाप्त वर्ष में शेष		

प्रारक्षित निधि और अधिवेध:

(धनराशि-रूपों में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. प्रारक्षित पूंजी:		
अंतिम लेखा के अनुसार		
वर्ष के दौरान जोड़ी गई पूंजी		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटीतियां		
2. प्रारक्षित निधि का पुनर्मूल्यन:		
अंतिम लेखा के अनुसार		
वर्ष के दौरान जोड़ी गई पूंजी		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटीतियां		
3. प्रारक्षित विशेष निधि:		
अंतिम लेखा के अनुसार		
वर्ष के दौरान जोड़ी गई पूंजी		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटीतियां		
4. प्रारक्षित सामान्य निधि:		
अंतिम लेखा के अनुसार		
वर्ष के दौरान जोड़ी गई पूंजी		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटीतियां		
जोड़		

अनुसूची- III
निर्धारित/स्थायी निधि

(धनराशि-रूपों में)

क) निधि का अथ शेष ख) निधि में निम्नलिखित द्वारा वृद्धि i) दान/अनुदान ii) निधि से किए गए निवेश से आय iii) अन्य वृद्धि (वृद्धि के स्वरूप को विनिर्दिष्ट करें)	निधिवार ब्यौरा			कुल जोड़		
	निधि डब्ल्यू डब्ल्यू	निधि एक्स एक्स	निधि वाई वाई	निधि जेड जेड	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
जोड़ (क+ख)						
ग) निधि के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए धन का उपयोग/व्यय i) पूंजीगत व्यय - अन्य स्थायी परिसंपत्तियां - अन्य जोड़ ii) राजस्व व्यय - वेतन, मजदूरी और भत्ते इत्यादि - किराया - अन्य प्रशासनिक व्यय (खर्च) जोड़						
जोड़ (ग)						
वर्ष को समाप्त निवल शेष (क+ख-ग)						
टिप्पणियां (1) निवल शेष संबंधी विवरण अनुदान के साथ संलग्न शर्तों पर आधारित संगत शीर्षों के अंतर्गत किया जाएगा (2) केंद्र/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना संबंधी निधि को अलग निधि के रूप में दर्शाया जाएगा और इसे किसी अन्य निधि के साथ नहीं मिलाया जाएगा।						

अनुसूची- IV

रक्षित कर्ज और उधार:

(धनराशि-रूपों में)

1. केन्द्र सरकार 2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें) 3. वित्तीय संस्थाएं (क) सावधि कर्ज (ख) उपचित और देय ब्याज 4. बैंक: क) सावधि ऋण -उपचित और देय ब्याज ख) अन्य कर्ज (विनिर्दिष्ट करें) -उपचित और देय ब्याज 5. अन्य संस्थाएं और एजेंसियां 6. डिबेंचर और बॉण्ड 7. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
जोड़				
टिप्पणी: एक वर्ष के भीतर देय धनराशि				

अनुसूची- V
अरक्षित कर्ज और उधार:

(धनराशि-रूपों में)

1. केन्द्र सरकार 2. राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें) 3. वित्तीय संस्थाएं (क) सावधि कर्ज (ख) उपचित और देय ब्याज 4. बैंक: ग) सावधि ऋण घ) अन्य कर्ज (विनिर्दिष्ट करें) 5. अन्य संस्थाएं और एजेंसियां 6. डिबेंचर और बॉण्ड 7. सावधि जमा 8. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	जोड़	
टिप्पणी: एक वर्ष के भीतर देय धनराशि		

अनुसूची - VI
आस्थगित ऋण संबंधी देनदारियां

1. स्वीकृतियां जो पूंजीगत उपस्कर और अन्य परिसंपत्तियों को दृष्टिबंधक रखकर दी गई हैं	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
2. अन्य		
जोड़		
टिप्पणी: एक वर्ष के भीतर देय धनराशि		

अनुसूची- VII
चालू देयताएं और प्रावधान

(धनराशि-रूपों में)

क. चालू देयताएं 1. स्वीकृतियां 2. विविध लेनदार: क) माल के लिए ख) अन्य 3. प्राप्त की गई अग्रिम धनराशि 4. उपचित ब्याज लेकिन जो निम्नलिखित पर देय नहीं है: क) रक्षित कर्ज/उधार ख) अरक्षित कर्ज/उधार 5. सांविधिक देयताएं: क) अतिदेय ख) अन्य 6. अन्य चालू देयताएं	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
	जोड़ (क)			

ख. प्रावधान				
1. कराधान के लिए				
2. उपदान				
3. अधिवर्षिता/पेंशन				
4. संचित छुट्टी का नकदीकरण				
5. व्यापार वारंटी/दावे				
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)				
जोड़ ख				
कुल जोड़ (क+ख)				

अनुसूची- VIII
स्थायी परिसंपत्तियां

क) स्थायी परिसंपत्तियां	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के प्रारंभ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि कटौती	वर्ष के दौरान कटौती	--वर्ष को समाप्त लागत/मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि होने पर	वर्ष के दौरान कटौती होने पर	वर्ष के अंत तक जोड़	चालू वर्ष की समाप्ति पर	पूर्व-वर्ष की समाप्ति पर
1. भूमि: क) पूर्ण स्वामित्व वाली पट्टाधृत भूमि ख) भवन क) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि पर बने भवन ख) पट्टाधृत भूमि पर बने भवन ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर घ) ऐसी भूमि पर अधिसंरचना करना जिसका संबंध उस संगठन से नहीं है। 3. संयंत्र मशीनरी और उपस्कर 4. वाहन 5. फर्नीचर, जुड़ना 6. कार्यालय उपस्कर 7. कम्प्यूटर/पेरिफरल्स 8. विद्युत अधिष्ठापन 9. पुस्तकालय 10. ट्यूबवेल और जल आपूर्ति 11. अन्य स्थायी परिसंपत्तियां										
चालू वर्ष का जोड़										
पूर्व वर्ष का जोड़										
पूँजीगत चालू कार्य जोड़										

अनुसूची- IX

निर्धारित की गई/स्थायी निधियों से निम्नलिखित प्रतिभूतियों में निवेश

(धनराशि-रूपों में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में		
3. शेयरों में		
4. डिबेंचर और बॉण्ड में		
5. सहायक और संयुक्त उपक्रमों में		
6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़		

अनुसूची- X
अन्य निवेश

(धनराशि-रूपयों में)

1. सरकारी प्रतिभूतियों में 2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में 3. शेयरों में 4. डिबेंचर और बॉण्ड में 5. सहायक और संयुक्त उपक्रमों में 6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
जोड़				

अनुसूची- XI

चालू परिसंपत्तियां, कर्ज, अग्रिम इत्यादि

(धनराशि-रूपयों में)

क) चालू परिसंपत्तियां:	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
1. विविध देनदार: क) छह माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण ख) अन्य 2. शेष नकद राशि (चेक/ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित) 3. बैंकों में पड़ी धनराशि अनुसूचित बैंकों में:- -चालू खातों में -जमा खातों में (मार्जिन राशि सहित) -बचत खातों में 4. डाक घर- बचत खाता				
जोड़ (क)				

(धनराशि-रूपयों में)

ख) ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां:	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
1. कर्ज: क) स्टॉफ ख) अन्य संगठन जो उसी संगठन के समान कार्यकलापों/उद्देश्यों में लगे हुए हैं ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) 2. अग्रिम और अन्य धनराशि जो नकद रूप में या जिस रूप में या निम्नलिखित पर प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए वसूल की जाएगी:- क) पूंजीगत लेखा पर ख) पूर्व भुगतान ग) अन्य				

3. प्रोद्भूत आय: क) निर्धारित/स्थायी निधि से निवेश पर प्राप्त आय ख) निवेश से प्राप्त आय - अन्य ग) कर्ज और अग्रिम से प्राप्त आय घ) अन्य (इसमें देय वसूल न की गई---- रुपये की आय भी शामिल है)				
4. प्राप्ति योग्य दावे की राशि				
जोड़ (क)				
जोड़ (क+ख)				

अनुसूची- XII

अनुदान/आर्थिक सहायता

(प्राप्त किए गए अप्रतिसंहरणीय अनुदान और आर्थिक सहायता)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1. केन्द्र सरकार 2. राज्य सरकार (सरकारें) 3. सरकारी एजेंसियां 4. संस्थाएं/कल्याण निकाय 5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन 6. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़		

अनुसूची- XIII

शुल्क/अभिदान

(धनराशि-रुपयों में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1) प्रवेश शुल्क 2) वार्षिक शुल्क/अभिदान 3) सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क 4) परामर्शी शुल्क 5) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़		
टिप्पणी - प्रत्येक मद के लिए लेखाकेंद्र नीतियां बताई जाएंगी।		

अनुसूची- XIV

निवेश से प्राप्त आय

(निर्धारित/स्थायी निधि से निवेश पर आय को निधि में अंतरित किया गया है)

	निर्धारित निधि से निवेश		निवेश - अन्य	
	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1) ब्याज क) सरकारी प्रतिभूतियों पर ख) अन्य बांड/डिबेंचरों पर 2) लाभांश: क) शेयरों पर ख) म्यूचुअल फण्ड प्रतिभूतियों पर 3) किराया 4) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)				
जोड़				
निर्धारित/स्थायी निधि में अंतरित				

1046/09 2

अनुसूची- XV
रायल्टी, प्रकाशन इत्यादि से प्राप्त आय

(धनराशि-रूपयों में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1) रायल्टी से प्राप्त आय		
2) प्रकाशन से प्राप्त आय		
3) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़		

अनुसूची- XVI
अर्जित ब्याज

(धनराशि-रूपयों में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1) सावधि जमा पर:		
क) अनुसूचित बैंकों में		
ख) गैर अनुसूचित बैंकों में		
ग) संस्थाओं में		
घ) अन्य बैंकों में		
2) निम्नलिखित बचत बैंकों में:		
क) अनुसूचित बैंकों में		
ख) गैर अनुसूचित बैंकों में		
ग) डाक घर बचत खातों में		
घ) अन्य बैंकों में		
3) निम्नलिखित के ऋणों पर		
क) कर्मचारी/स्टॉफ		
ख) अन्य		
4) देनदारों और अन्य प्राप्त राशि पर ब्याज		
जोड़		
टिप्पणी: स्रोत पर कटौती किए गए कर का उल्लेख किया जाए।		

अनुसूची- XVII
अन्य आय

(धनराशि-रूपयों में)

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
1) परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ:		
क) निजी परिसंपत्तियों पर		
ख) अनुदान से अर्जित या निःशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्तियों पर		
2) प्राप्त निर्यात प्रोत्साहन की राशि		
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क		
जोड़		

अनुसूची- XVIII
स्थापना संबंधी व्यय

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क) वेतन और मजदूरी		
ख) भते और बोनस		
ग) भविष्य निधि में अंशदान		
घ) अन्य निधि में अंशदान (विनिर्दिष्ट करें)		
ङ) स्टॉफ कल्याण संबंधी खर्च		
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभों पर व्यय		
छ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़		

अनुसूची- XIX
अन्य प्रशासनिक व्यय इत्यादि

	(धनराशि-रूपयों में)	
	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क) कचरा		
ख) श्रम और पोसेसिंग खर्च		
ग) इलाई और गाड़ी भाड़ा आयक		
घ) विद्युत और पावर		
ङ) जल प्रभार		
च) बीमा		
छ) मरम्मत और रख-रखाव		
ज) उत्पाद शुल्क		
झ) किराया, दरें और कर		
ञ) वाहन चलाना और उनका रख-रखाव		
ट) डाक खर्च, टेलीफोन और संप्रेषण प्रभार		
ठ) मुद्रण और लेखन सामग्री		
ड) यात्रा और वाहन संबंधी व्यय		
ढ) सेमिनार/कार्यशालाओं पर हुआ व्यय		
ण) अनुदान संबंधी व्यय		
त) शुल्क संबंधी व्यय		
थ) लेखापरीक्षकों के लिए पारिश्रमिक		
द) आतिथ्य सत्कार संबंधी व्यय		
ध) वयसायिक प्रभार		
न) अशोध्य और सदिग्ध ऋण/अग्रिम के लिए प्रावधान		
प) बट्टे खाते डाली गई अपतिसंहरणीय शेष राशि		
फ) पैकिंग प्रभार		
ब) मालभाड़ा और अरोषण संबंधी व्यय		
भं) वितरण संबंधी प्रचार		
म) विज्ञापन और प्रचार		
य) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़		

अनुसूची- XX

अनुदान, आर्थिक सहायता इत्यादि पर हुआ व्यय

	(धनराशि-रूपयों में)	
	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क) संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान		
ख) संस्थाओं/संगठनों को दी गई आर्थिक सहायता		
जोड़		
टिप्पणी - संगठन का नाम, उनके कार्यकलाप और अनुदान/आर्थिक सहायता की राशि को बताया जाए ।		

अनुसूची- XXI

व्याज

	(धनराशि-रूपयों में)	
	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क) ऋणों पर		
क) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)		
ख) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
जोड़		

अनुसूची- XXII
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (निर्देशी)

1. लेखांकन विधि

वित्तीय विवरणों को, यदि अन्यथा वर्णित नहीं किया गया है तो, प्रचलित लागत विधि और लेखांकन की उपचय विधि के आधार पर तैयार किया जाता है।

2. निवेश

2.1 "दीर्घकालीन निवेश" के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर किए जाते हैं। ह्रास के लिए प्रावधान जो अस्थायी से भिन्न है, ऐसे निवेश की लागत पर किया जाता है।

2.2 "चालू" के रूप में वर्गीकृत निवेश न्यूनतम लागत और उचित मूल्य पर किए जाते हैं। ऐसे निवेश के मूल्य में गिरावट के लिए प्रावधान किए जाते हैं क्योंकि प्रत्येक निवेश पर अलग से विचार किया जाता है न कि व्यापक आधार पर किया जाता है।

2.3 लागत में अर्जन व्यय को भी शामिल किया जाता है जैसे दलाली, ट्रांसफर स्टॉप।

3. अचल परिसंपत्तियां

3.1 अचल परिसंपत्तियों के अर्जन लागत पर वर्णित किया जाता है जिसमें आवक दुलाई, शुल्क और कर तथा अर्जन से संबंधित आकस्मिक एवं प्रत्यक्ष व्यय शामिल है। निर्माण संबंधी परियोजनाओं के मामले में, संबंधित प्रचालन-पूर्व व्यय (विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए उनके पूरा होने से पहले, ऋण पर व्याज सहित), पूंजीकृत परिसंपत्ति के मूल्य का भाग बनता है।

3.2 गैर-मौद्रिक अनुदानों (कॉरपस निधि के लिए अनुदान से भिन्न) के रूप में प्राप्त अचल परिसंपत्तियों को पूंजीगत आरक्षित निधि में तदनु रूप जमा (क्रेडिट) करके वर्णित मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है।

4. मूल्यह्रास

4.1 मूल्यह्रास आयकर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों पर स्ट्रेट-लाइन विधि के अनुसार दिया जाता है इसमें अचल परिसंपत्तियों के अर्जन के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय देयताओं को परिवर्तित करने के कारण उत्पन्न होने वाला लागत समायोजन शामिल नहीं है, जो संबंधित परिसंपत्तियों की अविशेष अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

4.2 वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में परिवर्धन/कटौती करने के संबंध में, मूल्यह्रास पर यथानुसार आधार पर विचार किया जाता है।

4.3 5,000 रूपए या इससे कम लागत वाली परिसंपत्तियों को पूर्णतः शामिल किया गया है।

5. विविध व्यय

आस्थगित राजस्व व्यय को इसमें उपगत होने के वर्ष से पाँच वर्ष की अवधि तक बट्टे खाते डाला जाएगा।

6. बिक्री का लेखा-जोखा रखना

बिक्री में उत्पाद शुल्क शामिल है और इसमें निवल बिक्री प्रतिलाभ, छूट और कारोबारी छूट शामिल है।

7. सरकारी अनुदान/आर्थिक सहायता

7.1 परियोजना गठित करने की पूंजीगत लागत के लिए अंशदान स्वरूप के सरकारी अनुदान को पूंजीगत आरक्षित निधि के रूप में लिया जाएगा।

7.2 अर्जन की गई विनिर्दिष्ट अचल परिसंपत्तियों के अनुदानों को संबंधित परिसंपत्तियों की लागत से कटौती के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

7.3 सरकारी अनुदानों/आर्थिक सहायता को वसूली आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

8. विदेशी मुद्रा लेन-देन

8.1 विदेशी मुद्रा में वर्गीकृत लेन-देन को लेन-देन तारीख को प्रचलित विनिमय दर में लेखाबद्ध किया जाता है।

8.2 चालू परिसंपत्ति, विदेशी मुद्रा ऋण और चालू देयताओं को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप लाभ/हानि को अचल परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है, यदि विदेशी मुद्रा देयता अचल परिसंपत्तियों से संबंधित है, और अन्य मामलों में राजस्व के लिए विचार किया जाता है।

9. पट्टा

पट्टा किराया खर्च पट्टा संबंधी शर्तों से संबंधित है।

10. सेवानिवृत्ति लाभ

10.1 कर्मचारी की मूल्य/सेवानिवृत्ति पर संदेय उपदान के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रोद्भूत होती है।

10.2 कर्मचारी को संचित छुट्टी नकदीकरण लाभ के लिए प्रावधान इन अवधारणा के आधार पर प्रोद्भूत और परिकलित किए जाते हैं कि कर्मचारी इन सुविधाओं को प्रत्येक वर्ष के अंत में प्राप्त करने के लिए हकदार है।

अनुसूची- XXIII

आकस्मिक देयताएं और लेखा संबंधी टिप्पणियां (निर्देश)

1. आकस्मिक देयताएं

1.1 संगठन के संबंध में ऐसे दावे जिन्हें ऋण नहीं किया गया है- _____ रूपए(पिछले वर्ष _____ रूपए)।

1.2 निम्नलिखित के संबंध में:

- संगठन द्वारा/की ओर से बैंक गारंटी- _____ रूपए(पिछले वर्ष _____ रूपए)।
- संगठन की ओर से बैंक द्वारा खोला गया साख-पत्र- _____ रूपए(पिछले वर्ष _____ रूपए)।
- बैंक में भुनाए गए बिल- _____ रूपए(पिछले वर्ष _____ रूपए)।

1.3 निम्नलिखित के संबंध में विवादित मांग:

1.4 ऐसे दावों के संबंध में जिन्हें आर्डर का निष्पादन न करने पर पक्षकारों द्वारा किया गया है लेकिन संगठन द्वारा उसका किया गया है _____ रूपए (पिछले वर्ष _____ रूपए)।

2. पूंजीगत प्रतिबद्धता

ठेकों का अनुमानित मूल्य जिनका पूंजी के कारण निष्पादन नहीं है और जिनके लिए(निवल अग्रिम) नहीं दिया गया _____ रूपए(पिछले वर्ष _____ रूपए)।

3. पट्टा संबंधी दायित्व

संयंत्र और मशीनरी के लिए पट्टा व्यवस्था के तहत भावी दायित्व _____ रूपए(पिछले वर्ष _____ रूपए)।

4. चालू परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम

प्रबंधन की राय में, चालू परिसंपत्तियाँ, ऋणों और अग्रिमों का सामान्य कारोबार के दौरान नकदीकरण पर मूल्य, कम से कम तुलन पत्र में दर्शाई गई कुल राशि के बराबर होता है।

5. कराधान

आयकर अधिनियम 1961 के तहत कोई कर योग्य आय नहीं होने के कारण, आयकर के लिए प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया।

चालू वर्ष

पूर्व वर्ष

6. विदेशी मुद्रा संबंधी लेन-देन

6.1 लागत बीमा और भाड़ा (सी.आई.एफ.) आधार पर परिकल्पित आयात का मूल्य

- तैयार माल की खरीद
- कच्चा माल और धटक(मार्गस्थ सहित)
- पूंजीगत माल
- स्टोर्स, अतिरिक्त सामान और उपभोज्य सामान

विदेशी मुद्रा में व्यय

(क) यात्रा

(ख) वितीय संस्थाओं/बैंकों को विदेशी मुद्रा में प्रेषण और ब्याज का भुगतान

(ग) अन्य व्यय

- बिक्री पर कमीशन
- विधिक और व्यवसायगत व्यय
- विविध व्यय

आय:

पोत पर्यन्त नि:शुल्क (एफओबी)आधार पर आयात का मूल्य

लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक:

निम्नलिखित के लिए लेखापरीक्षक

- कराधान
- प्रबंधन सुविधा के लिए
- प्रमाणन के लिए

अन्य

7. पिछले वर्ष के सद्श आंकड़ों को आवश्यकतानुसार, पुनः समूहित/व्यवस्थित किया गया है।

8. 1 से 23 तक की अनुसूचियों को तुलन पत्र के साथ संलग्न किया गया है और वे _____ के तुलन पत्र का और उस तारीख को समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखा का अभिन्न हिस्सा है।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2009

G.S.R. 204(E).—In exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (2) of Section 63 read with sub-section (1) Section 52, of the Competition Act, 2002 (12 of 2003) the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Competition Commission of India (Form of Annual Statement of Accounts) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) 'Act' means the Competition Act, 2002 (12 of 2003);

(b) 'Commission' means the Competition Commission of India established under sub-section (1) of Section 7 of the Act;

(c) 'Fund' means the Competition Fund constituted under sub-section (1) of Section 51 of the Act;

(d) 'Form' means Form annexed to these rules;

(e) 'Schedule' means the Schedule to the form annexed to these Rules;

(f) 'Year' means the financial year beginning on 1st April and ending on 31st March of the year immediately following.

(2) The words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Forms of Financial Statements.—The Commission shall maintain its accounts in the Form of financial statements annexed to these rules. In maintaining the financial statements, the Commission shall follow the instructions and accounting principles as are indicated by the Central Government from time to time.

4. Incurring of Expenditure by the Commission.—Every officer of the Commission incurring or authorizing expenditure from the Competition Fund should be guided by the Standards of financial propriety and other rules of General Financial Rules, 2005.

5. Annual Statement of Accounts.—(1) At the end of a period of twelve months ending with 31st March of every year, the Commission shall prepare the following financial statements along with necessary schedules, notes on accounts and significant accounting policies in accordance with the notes and instructions for compilation of financial statements prescribed by Government of India, Ministry of Finance, Controller-General of Accounts as modified and annexed to these rules:

(i) balance sheet,

(ii) income and expenditure Account,

(iii) receipt and payment Account.

(2) The balance sheet, income and expenditure account and receipt and payment account and the schedules referred to in sub-rule (1), shall be approved and adopted by the Commission or a Committee authorised by the Commission in this behalf and, for purposes of authentication, be signed by the Chairman and one Member of the Commission.

(3) The approved accounts of the Commission shall be forwarded by the Commission to the Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him on his behalf within three months after the expiry of the year for the purposes of audit.

(4) The annual accounts of the Commission, as certified by the Comptroller and Auditor General of India or any other person appointed by him in his behalf, together with the audit report thereon after adoption by the Commission shall be forwarded to the Central Government for laying before both the Houses of Parliament.

6. Maintenance of Accounts etc.—The Commission shall preserve the balance sheet, income and expenditure account, schedules to above statements, and the receipt and payment account, referred to in sub-rule (1) of rule 4 for a minimum period of ten years, following the year to which they relate.

Form of financial statements
[see rule 3]

Name of Entity: Competition Commission of India

BALANCE SHEET FOR THE PERIOD/YEAR ENDED _____

(Amount Rs.)

FUND AND LIABILITIES	Schedule	Current Yr	Prev. Year
Fund	1		
Reserves and Surplus	2		
Earmarked/Endowment Funds	3		
Secured Loans and Borrowings	4		
Unsecured Loans and Borrowings	5		
Deferred Credit Liabilities	6		
Current Liabilities and Provisions	7		
TOTAL			
ASSETS			
Fixed Assets	8		
Investments – From Earmarked/Endowment Funds of CCI	9		
Investments – Others	10		
Current Assets, Loans and Advances	11		
Miscellaneous Expenditure (to the extent not written of or adjusted)			
TOTAL			
Significant Accounting Policies	22		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	23		

For COMPETITION COMMISSION OF INDIA

MEMBER

CHAIRMAN

Place : Delhi

Date :

RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNTS FOR THE PERIOD/YEAR ENDED _____
(see rule 5)

(Amount – Rs)

RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENTS	Current Year	Previous Year
<p>I. <u>Opening Balances</u> (a) Cash in Hand (b) Bank Balance (i) In Current Accounts (ii) In Deposit Accounts (iii) Saving Accounts</p> <p>II. <u>Grants Received</u> (d) From Government of India (e) From State Government (f) From Other Sources (Details) (Grants for Capital and Revenue Expenditure to be shown separately)</p> <p>III <u>Income on Investment from</u> (a) Earmarked/Endow Funds (b) Own Funds (Other investments)</p> <p>IV. <u>Interest Received</u> (i) On Bank deposits (ii) Loans, advances etc.</p> <p>V. <u>Other Income</u> (Specify)</p> <p>VI. <u>Amount Borrowed</u></p> <p>VII. Any other receipts (give</p>			<p>1. Expenses (a) Establishment expenses (corresponding to Sch. 18) (b) Administrative Expenses (Corresponding to Sch. 19)</p> <p><u>II. Payment made against funds for various projects</u> (Name of the fund or project should be shown along with the particulars of payment made for each project)</p> <p><u>III. investments and Deposits Made</u> a) Out of Earmarked /Endowment funds b) Out of own Funds (Investment-others)</p> <p>IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in- Progress a) Purchase of fixed Assets b) Expenditure on Capital Work-in- progress</p> <p><u>V. Refund of surplus money/Loans</u> a) To the Government of India b) To the State Government c) To other providers of funds</p> <p><u>VI) Finance Charges (Interest)</u></p> <p><u>VII) Other Payments (Specify)</u></p> <p><u>VIII. Closing Balances</u> a) Cash in Hand</p>		

details)			b) Bank Balances (iii) In Current Accounts (iv) In Deposit Accounts (iii) Savings Accounts		
TOTAL			TOTAL		

For COMPETITION COMMISSION OF INDIA

MEMBER

CHAIRMAN

**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNTS
FOR THE PERIOD/YEAR ENDED _____**

(see rule 5)

(Amount - Rs)

INCOME	Schedule	Current Year	Previous Year
Grants/Subsidies	12		
Fees/Subscriptions	13		
Income from Investments (Income on invest, from earmarked/endow funds transferred to funds).	14		
Income from Royalty, Publications etc.	15		
Interest Earned	16		
Other Income	17		
Total (A)			
EXPENDITURE	Schedule	Current Year	Previous Year
Establishment Expenses	18		
Other Administrative Expenses, etc	19		
Expenditure on Grants, subsidies etc.	20		
Interest	21		
TOTAL (B)			
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B) Transfer to Special Reserve (Specify each) Transfer to/from General Reserve			
BALANCE BEING SURPLUS (DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND			
Significant Accounting Policies	22		
Contingent Liabilities and Notes on Accounts	23		

For COMPETITION COMMISSION OF INDIA

MEMBER

CHAIRMAN

Place : Delhi

Date :

Competition Commission of India

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT

(see rule 5)

SCHEDULE – I

FUND

(Amount – Rs.)

	Current Year		Previous Year	
Balance as at the beginning of the year				
Add: Contributions towards fund				
Add/(Deduct): Balance of net income/ (expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account				
BALANCE AS AT THE YEAR –END				

SCHEDULE – II

RESERVES AND SURPLUS

(Amount – Rs.)

	Current Year		Previous Year	
1. <u>Capital Reserve</u>				
As per last Account				
Addition during the year				
Less: Deductions during the year				
2. <u>Revaluation Reserve</u>				
As per last Account				
Addition during the year				
Less: Deductions during the year				
3. <u>Special Reserves</u>				
As per last Account				
Addition during the year				
Less: Deductions during the year				
4. <u>General Reserve</u>				
As per last Account				
Addition during the year				
Less: Deductions during the year				
TOTAL				

SCHEDULE – III
EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

(Amount – Rs.)

	Fund Wise Break up				Totals	
	Fund WW	Fund XX	Fund YY	Fund ZZ	Current Year	Previous Year
a) <u>Opening balance of the funds</u>						
b) <u>Additions to the Funds:</u>						
(i) Donations/grants						
(ii) Income from investments made on account of funds						
(iii) Other additions (specify nature)						
Total (a+b)						
c) <u>Utilisation/Expenditure towards objectives of funds</u>						
i) Capital Expenditure						
- Fixed Assets						
- Others						
Total						
ii) Revenue Expenditure						
- Salaries, Wages and allowances etc.						
- Rent						
- Other Administrative Expenses						
Total						
TOTAL (c)						
NET BALANCE AS AT THE YEAR-END (a + b - c)						

Notes

- (1) Disclosures shall be made under relevant heads based on conditions attaching to the grants.
- (2) Plan Funds received from the Central/State Governments are to be shown as separate Funds and not to be mixed up with any other Funds.

SCHEDULE – IV
SECURED LOANS AND BORROWINGS

(Amount Rs.)

	Current Year		Previous Year	
1. Central Government				
2. State Government (Specify)				
3. Financial Institutions				
a) Terms Loans				
b) Interest accrued and due				
4. Banks				
a) Term Loans				
- Interest accrued and due				
b) Other Loans (specify)				
- Interest accrued and due				
5. Other Institutions and Agencies				
6. Debentures and bonds				
7. Others (Specify)				
TOTAL				
Note: Amounts due within one year				

SCHEDULE – V
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS

(Amount – Rs.)

	Current Year	Previous Year
1. Central Government		
2. State Government		
3. Financial Institutions		
4. Banks:		
a) Term Loans		
b) Other Loans (specify)		
5. Other Institutions and Agencies		
6. Debentures and Bonds		
7. Fixed Deposits		
8. Others (specify)		
TOTAL		
Note: Amounts due within one year		

SCHEDULE – VI
DEFERRED CREDIT LIABILITIES

(Amount – Rs.)

	Current Year	Previous Year
1. Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets.		
2. Others		
TOTAL		
Note: Amounts due within one year		

SCHEDULE – VII
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

(Amount – Rs.)

	Current Year	Previous Year
A. CURRENT LIABILITIES		
1. Acceptances		
2. Sundry creditors:-		
a. For Goods		
b. Others		
3. Advances Received		
4. Interest accrued but not due on:		
(a) Secured Loans/borrowings		
(b) Unsecured Loans/borrowings		
5. Statutory Liabilities:		
(a) Overdue		
(b) Others		
6. Other Current Liabilities		
TOTAL (A)		
B. PROVISIONS		
1. For Taxation		
2. Gratuity		
3. Superannuation/Pension		
4. Accumulated Leave Encashment		
5. Trade Warranties/Claims		
6. Others (specify)		
TOTAL (B)		
TOTAL (A+B)		

SCHEDULE – IX
INVESTMENTS FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS

(Amount – Rs.)

	Current Year	Previous Year
1. In Government Securities		
2. Other approved Securities		
3. Shares		
4. Debentures and Bonds		
5. Subsidiaries and Joint Ventures		
6. Others (to be specified)		
TOTAL		

SCHEDULE – X
INVESTMENTS – OTHERS

(Amount – Rs.)

	Current Year	Previous Year
1. In Government Securities		
2. Other approved Securities		
3. Shares		
4. Debentures and Bonds		
5. Subsidiaries and Joint Ventures		
6. Others (to be specified)		
TOTAL		

SCHEDULE – XI
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.

	Current Year Rs.		Previous Year Rs.	
<u>CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.</u>				
A <u>Current Assets:</u>				
1. Sundry Debtors				
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months				
b) Others				
2. Cash balances in hand (including cheques/drafts and imprest)				
3. Bank Balances :				
With Scheduled Banks:				
- In Currentt Accounts				
- In Deposit Accounts(incl. margin money)				
- On Savings Accounts				
4. Post Office – Savings Accounts				
<u>TOTAL (A)</u>				
B <u>LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS</u>				
1. Loans to :				
a) Staff				
b) Other Entities engaged in activities/ objectives similar to that of the Entity				
c) Other (specify)				
2. Advances and other amount recoverable in cash or in kind or for value to be received:				
a) On Capital Account				
b) Prepayments				
c) Others				
3. Income Accrued				
e) On Investments from Earmarked/ Endowment Fund				
f) On Investments-others				
g) On Loans and Advances				
h) Others (includes income due unrealized Rs.....)				
4. Claims Receivable				
<u>TOTAL (B)</u>				
<u>TOTAL (A+B)</u>				

SCHEDULE - XII
GRANTS/SUBSIDIES
(Irrevocable Grants & Subsidies Received)

(Amount-Rs.)

	Current Year	Previous Year
	1) Central Government	
2) State Government(s)		
3) Government Agencies		
4) Institutions/Welfare Bodies		
5) International Organisations		
6) Others (Specify)		
TOTAL		

SCHEDULE - XIII
FEES/SUBSCRIPTIONS

(Amount-Rs.)

	Current Year	Previous Year
	1) Entrance Fees	
2) Filing Fees		
3) Seminar/Program Fees		
4) Consultancy Fees		
5) Others (Specify)		
TOTAL		
Note - Accounting Policies towards each item are to be disclosed		

SCHEDULE - XIV
INCOME FROM INVESTMENTS

(Income on Invest. From Earmarked/Endowment Funds transferred to Funds)

(Amount-Rs.)

	Investment from Earmarked Fund		Investment - Others	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
1) Interest				
a) On Govt. Securities				
b) Other Bonds/Debentures				
2) Dividends				
a) On Shares				
b) On Mutual Fund Securities				
3) Rents				
4) Others (Specify)				
TOTAL				
TRANSFERRED TO EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS				

SCHEDULE – XV
INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.

(Amount-Rs.)

	Current Year	Previous Year
1) Income from Royalty		
2) Income from Publications		
3) Others (specify)		
TOTAL		

SCHEDULE – XVI
INTEREST EARNED

(Amount-Rs.)

	Current Year	Previous Year
1) On Term Deposits:		
a) With Scheduled Banks		
b) With Non-Scheduled Banks		
c) With Institutions		
d) Others		
2) On Savings Accounts:		
a) With Scheduled Banks		
b) With Non-scheduled Banks		
c) Post Office Savings Accounts		
d) Others		
3) On Loans:		
a) Employees/Staff		
b) Others		
4) Interest on Debtors and Other Receivables		
TOTAL		

Note – Tax deducted at source to be indicated

SCHEDULE – XVII
OTHER INCOME

(Amount-Rs.)

	Current Year	Previous Year
1) Profit on Sale/disposal of Assets:		
a) Owned assets		
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost		
2) Fees for Miscellaneous Services		
3) Miscellaneous Income		
TOTAL		

SCHEDULE - XVIII
ESTABLISHMENT EXPENSES

(Amount-Rs.)

	Current Year	Previous Year
a) Salaries and Wages		
b) Allowances and Bonus		
c) Contribution to Provident Fund		
d) Contribution to Other Fund (specify)		
e) Staff Welfare Expenses		
f) Expenses on Employees' Retirement and Terminal Benefits		
g) Others (specify)		
TOTAL		

SCHEDULE - XIX
OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES

(Amount-Rs.)

	Current Year	Previous Year
a) Purchases		
b) Labour and processing expenses		
c) Cartage and Carriage Inwards		
d) Electricity and power		
e) Water charges		
f) Insurance		
g) Repairs and Maintenance		
h) Rent of Building (Office Premises)		
i) Rent, Rates and Taxes		
j) Vehicles Running, Maintenance or Hiring charges		
k) Postage, Telephone and Communication Charges		
l) Printing and Stationery		
m) Travelling and Conveyance Expenses		
n) Expenses on Seminar/Workshops		
o) Subscription Expenses		
p) expenses of Fee		
q) Auditors Remuneration/Legal Fee		
r) Hospitality Expenses		
s) Professional Charges		
t) Provision for Bad and Doubtful Debts/Advances		
u) Irrecoverable Balances return off		
v) Packing Charges		
w) Freight and Forwarding Expenses		
x) Distribution Expenses		
y) Advertisement and Publicity		
z) Others (to be specified)		
TOTAL		

SCHEDULE – XX
EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.

(Amount – Rs.)

	Current Year	Previous Year
a) Grants given to Institutions/Organisations		
b) Subsidies given to Institutions/Organisations		
TOTAL		

Note : Name of the Entities, their Activities along with the amount of Grants/subsidies are to be disclosed.

SCHEDULE – XXI

INTEREST

(Amount – Rs.)

	Current Year	Previous Year
(a) On Fixed Loans		
(b) On Other Loans (including Bank Charges)		
(c) Others (specify)		
TOTAL		

SCHEDULE – XXII

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Illustrative)

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

2. INVESTMENTS

2.1 Investments classified as "long term investments" are carried at cost. Provision for decline, other than temporary, is made in carrying cost of such investments.

2.2 Investments classified as "Current" are carried at lower of cost and fair value. Provision for shortfall on the value of such investments is made for each investment considered individually and not on a global basis.

2.3 Cost includes acquisition expenses like brokerage, transfer stamps.

3. FIXED ASSETS

- 3.1 Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition. In respect of projects involving construction, related pre-operational expenses (including interest on loans for specific project prior to its completion), form part of the value of the assets capitalized.
- 3.2 Fixed Assets received by way of non-monetary grants, (other than towards the Corpus Fund), are capitalized at values stated, by corresponding credit to Capital Reserve.

4. DEPRECIATION

- 4.1 Depreciation is provided on straight-line method as per rates specified in the Income-tax Act, 1961 except depreciation on cost adjustments arising on account of conversion of foreign currency liabilities for acquisition of fixed assets, which is amortized over the residual life of the respective assets.
- 4.2 In respect of additions to/deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered on pro-rata basis.
- 4.3 Assets consisting Rs.5,000 or less each are fully provided.

5. MISCELLANEOUS EXPENDITURE

Deferred revenue expenditure is written off over a period of 5 years from the year it is incurred.

6. ACCOUNTING FOR SALES

Sales include excise duty and are net of sales returns, rebate and trade discount.

7. GOVERNMENT GRANTS/SUBSIDIES

- 7.1 Government grants of the nature of contribution towards capital cost of setting up projects are treated as Capital Reserve.
- 7.2 Grants in respect of specific fixed assets acquired are shown as a deduction from the cost of the related assets.
- 7.3 Government grants/subsidy are accounted on realization basis.

8. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

- 8.1 Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.
- 8.2 Current assets, foreign currency loans and current liabilities are converted at the exchange rate prevailing as at the year end and the resultant gain/loss is adjusted to cost of fixed assets, if the foreign currency liability related to fixed assets, and in other cases is considered to revenue.

9. LEASE

Lease rentals are expensed with reference to lease terms.

10. RETIREMENT BENEFITS

- 10.1 Liability towards gratuity payable on death/retirement of employees is accrued based on actuarial valuation.
- 10.2 Provision for accumulated leave encashment benefit to the employees is accrued and computed on the assumption that employees are entitled to receive the benefit as at each year end.

SCHEDULE – XXIII
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS (Illustrative)

1. CONTINGENT LIABILITIES

- 1.1 Claims against the Entity not acknowledged as debts – Rs. _____
(Previous year Rs. _____)
- 1.2 In respect of:
- Bank guarantees given by/on behalf of the Entity –Rs. _____ (Previous year Rs. _____).
 - Letters of Credit opened by Bank on behalf of the Entity –Rs. _____ (Previous year Rs. _____).
 - Bills discounted with banks Rs. _____ (Previous year Rs. _____).
- 1.3 Disputed demands in respect of:
- 1.4 In respect claims from parties for non-execution of orders, but contested by the Entity – Rs. _____ (Previous year Rs. _____).

2. CAPITAL COMMITMENTS

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances) Rs. _____ (Previous year Rs. _____).

3. LEASE OBLIGATIONS

Future obligations for rentals under finance lease arrangements for plant and machinery amount to Rs. _____ (Previous year Rs. _____).

4. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

5. TAXATION

In view of there being no taxable income under Income-tax Act 1961, no provision for Income tax has been considered necessary.

Current Year Previous Year

6. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

6.1 Value of Imports calculated on C.I.F Basis:

- Purchase of finished Goods
- Raw Materials & Components (Including in transit)
- Capital Goods
- Stores, Spares and Consumables

Expenditure in foreign currency:

- d) Travel
- e) Remittances and Interest payment to Financial Institutions/ Banks in Foreign Currency
- f) Other expenditure:
 - Commission on Sales
 - Legal and Professional Expenses
 - Miscellaneous Expenses

Earnings:

Value of Exports on FOB basis

Remuneration to auditors:

As Auditors

- Taxation matters
- For Management services
- For certification

Others

7. Corresponding figures for the previous year have been regrouped/ rearranged, wherever necessary.
8. Schedules 1 to 23 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at _____ and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date.

[F. No. 5/32/2007-IGC/CC]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

